प्रेस विज्ञप्ति

हमारा संदर्भ : पी/जीए-3:1(प्रेस विज्ञप्ति) 08/06/2016

भारतीय मानक ब्यूरो, पटना शाखा कार्यालय को पैकेज बंद पेयजल पर बीआईएस मुहरांकन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामला प्रकाश में आया । भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विनियमन 2011 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना पैकेज बंद पेयजल का उत्पादन तथा बिक्री करना कानूनी अपराध है । भारतीय मानक ब्यूरो, पटना शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने दिनांक 08 जून 2016 को मेसर्स एमएसडी इंटरप्राइजेज, सोनो गोपालपुर, सम्पतचक, पटना में परावर्तन से संबंधित कार्यवाही की । उक्त छापेमारी में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया । छापेमारी के दौरान वृहत मात्रा में कांजलि ब्रांड के पैकेज बंद पेयजल में आईएसआई मार्क का दुरुपयोग पाया गया ।

उक्त छापेमारी की कार्यवाही भारतीय मानक ब्यूरो, पटना शाखा कार्यालय के अधिकारियों द्वारा की गई। इस छापेमारी के दौरान आई.एस.आई. मार्क के दुरूपयोग की पैकेज बोतल बंद पेयजल की सामग्री सील की गई । भारतीय मानक ब्यूरो, पटना शाखा कार्यालय द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मेसर्स एमएसडी इंटरप्राइजेज, सोनो गोपालपुर, सम्पतचक, पटना में कांजलि ब्रांड पैकेज बंद पेयजल में बी.आई.एस. अधिनियम 1986 की धारा 11(1) के अंतर्गत आई.एस.आई. मार्क के दुरूपयोग में संलिप्त पाया गया।

उक्त मामले में बी.आई.एस. अधिनियम 1986 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही

भवदीय,

(केसीएस विष्ट)
वैज्ञा. 'एफ' एवं प्रमुख